

Passport Office, Hyderabad
पासपोर्ट ऑफिस, हैदराबाद

पासपोर्ट/सुप्रीमेंटेंट
पासपोर्ट/सुप्रीमेंटेंट

V. S. DEBORAH
वी.एस. डेबोरा
Deborah
देबोरा

OF THE REPUBLIC OF INDIA
BY ORDER OF THE PRESIDENT
१५०४२८९ श्री शंकर कृष्ण राव के मात्रा से अधिकारी द्वारा दिए गए प्रतीक्षित प्रतीक्षित संकेत से सम्बन्धित।

THESE ARE TO REQUEST AND
REQUER IN THE NAME OF THE
PRESIDENT OF THE REPUBLIC
OF INDIA ALL THOSE WHO IN
MAY CONCERN TO PASS FREELY
BEAVER TO PASS THE
WILTHOUT LET OR HINDRANCE
EVERY ASSISTANCE AND
PROTECTION OF WHICH HE OR
AND TO AFFORD HIM OR HER
AT HIS DESIRE ALL THE FACILITIES
HE MAY DESIRE TO ACCORD



INDIA REPUBLICA
REPUBLIC OF INDIA



पंजीयकरण
विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे निकटतम भारतीय मिशन/
केंद्र में अपना पंजीयकरण करवाएं।

चेतावनी

यह पासपोर्ट भारत सरकार की सम्पत्ति है। इस पासपोर्ट के बारे में किसी पासपोर्ट अधिकारी से इसके धारक को बदि कोई मूल्य घिलाता है विसमें पासपोर्ट लौटाने की मांग भी प्राप्तिल है तो उसका बुरी अनुपालन किया जाए।

यह पासपोर्ट छाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट धारक या उसके द्वारा प्राप्तिल घोषित के कामे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल या विकृति नहीं की जानी चाहिए।

पासपोर्ट गुप्त हो जाने, चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को अथवा यदि पासपोर्ट धारक विवेश में है तो निकटतम भारतीय मिशन/केंद्र और स्थानीय पुलिस को ताकल दी जानी चाहिए। विस्तृत पूछताछ के बारे ही हुस्तेंट पासपोर्ट जारी किया जाएगा।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION/POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IMMEDIATELY.

THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST. THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IF THE HOLDER IS ABROAD, TO THE NEAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE. ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.

